

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
 19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-01/2023 से 03/2023 के अन्तर्गत सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी, सर्जिकल कार्डियोलॉजी एवं पीडीयाट्रिक्स कार्डियोलॉजी) के काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना एवं दिशा निर्देश:-

विज्ञापन संख्या-01/2023 से 03/2023 के अन्तर्गत सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी, सर्जिकल कार्डियोलॉजी एवं पीडीयाट्रिक्स कार्डियोलॉजी) के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों की Scrutiny के पश्चात् प्राप्त आपत्ति के निष्पादनोपरांत दिनांक-20.09.2023 को दो पाली में काउंसलिंग का कार्य बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड, पटना में आयोजित किया जायेगा। काउन्सलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार तिथिवार संलग्न है।

काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के Website:-www.btsc.bih.nic.in अथवा 103.75.167.252/ASSTD पर जाकर अपना नाम, Registered Mobile No., जन्म तिथि डालने के पश्चात् Registered Mobile No. पर प्राप्ते OTP के माध्यम से Login कर Counselling Call Letter एवं चेक लिस्ट-सह-अंक सत्यापन प्रपत्र Download किया जा सकता है।

Counselling Call Letter के बिना काउंसलिंग हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति, आवेदन की डाउनलोडेड प्रति तथा सत्यापन हेतु सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।

काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. ऑनलाईन आवेदन में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेक लिस्ट-सह-अंक सत्यापन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण-पत्रों की दो(02) प्रति स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति काउंसलिंग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. शैक्षणिक प्रमाण-पत्र यथा- MBBS, M.D./M.S./D.N.B, D.M./M.Ch./Dr.N.B का प्रमाण-पत्र/ औपबंधिक प्रमाण-पत्र (Certificate/Provisional Certificate) एवं अंक पत्र (Marksheet) दिनांक-02.02.2023 के पूर्व का निर्गत होने पर मान्य होगा। शेष प्रमाण-पत्र दिनांक-19.07.2023 तक का निर्गत मान्य किया जायेगा।
3. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकार (संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्राचार्य/अधीक्षक/ निदेशक/संबंधित जिला के सिविल सर्जन) द्वारा दिनांक-19.07.2023 तक का निर्गत होना अनिवार्य होगा एवं कार्यानुभव की गणना दिनांक-03.01.2023 तक किया जाएगा।
4. Online आवेदन में upload किये गए Photograph की 5 (पाँच) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अथवा राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से स्थायी निबंधन प्राप्त होना आवश्यक होगा। सभी शैक्षणिक योग्यताओं की प्रविष्टि सहित निबंधन प्रमाण-पत्र काउंसलिंग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
7. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
8. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. काउंसलिंग के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। काउंसलिंग के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। काउंसलिंग के लिए संलग्न रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति का काउंसलिंग स्थल में प्रवेश वर्जित होगा।
11. अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय-समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है तो इसे वे अपने ध्यान में अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने/नहीं देने के बिन्दु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।


14.9.2022
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।